भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3086
(दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी खबरों से निपटना

3086. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार के मीडिया प्रिंट, विजुअल और वेब द्वारा फर्जी खबरों और अनुचित खबरों के प्रसार को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार देश में फर्जी खबरों की समस्या से निपटने और इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई कानून लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ऐसी फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाती है, जिनसे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। इस संबंध में, सरकार ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए विभिन्न सांविधिक और संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

प्रिंट मीडिया के लिए, समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के "पत्रकारिता के आचरण के मानक" का पालन करना होता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, फर्जी/अपमानजनक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मानकों के कथित उल्लंघन की जांच करती है और मामले के अनुसार समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना या निंदा कर सकती है।

प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं की जानी चाहिए जिसमें अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक बातें और अर्धसत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021, टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। जहां कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

डिजिटल मीडिया पर प्रकाशकों और समाचार एवं समसामयिक मामलों की सामग्री के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) ऐसे प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान करते हैं।

नवंबर, 2019 में केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जांच के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

*****